संख्या-12/2024/।/483030/2024/77-3099/122/2023

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 31/01/2024**

विषय-उ0प्र0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हेतु वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि से स्वीकृत कराए जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 6124/यूपीडा/डिफेन्स कॉरिडोर/कॉरिडोर/1871/23, दिनांक 03.01.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हेतु बजट में प्राविधानित एकमुश्त व्यवस्था रू0 55000.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-34/2023/।/356622/2023/77-33099/122/2023 दिनांक 26.07.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना में स्वीकृत दो कार्यो, लागत रू0 4300.00 लाख को वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना में अग्रणीत करते हुए कुल 33 कार्यो, लागत रू0 74246.30 लाख की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना में अनुमोदित अलीगढ नोड की आन्तरिक स्ट्रीट लाइट के कार्य, लागत रू0 404.86 लाख के कार्य की भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में वित्त विभाग की सहमति एवं सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त अधोतालिका में उल्लिखित 04 कार्यों लागत रू0 32300.00 लाख (रूपये तीन अरब तेईस करोड़ मात्र) की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की अतिरिक्त कार्ययोजना की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क0 सं0	नाम	प्रशासनिक स्वीकृति (लाख में)	वित्तीय 2023-24 में अपेक्षित वित्तीय स्वीकृति (लाख में)	टिप्पणी
1	चित्रकूट नोड में जल आपूर्ति जल निकासी तथा एस0टी0पी0 का कार्य।	3500.00	1000.00	उ0प्र0 जल निगम के निष्पादन के तहत दूसरे चरण में कच्चे/पीने योग्य उक्त आपूर्ति लाइने, अग्निशमन, सीवेज लाइनों की आवश्यकता होगी। अत: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3500.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति और रू0 1000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति हेतु मांग प्रस्तावित है। सेंटेज (आर्किटेक्चरल ले आउट, डिजाइन डिटेल, कंस्ट्रक्शन ड्रांइग और डिपार्टमेन्टल चार्जेज 4 प्रतिशत निहित है।
2	अलीगढ एवं आगरा डिफेन्स नोड में अतिरिक्त भूमि क्रय हेतु धनराशि	25000.00	20000.00	अलीगढ एवं आगरा डिफेन्स नोड में अतिरिक्त भूमि क्रय की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पर अवस्थापना संबंधित कार्य जैसे सर्वे, सीएनजी, मृदा परीक्षण एवं सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल इतयादि।
3	आगरा डिफेन्स नोड की भूमि से सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	3000.00	100.00	5.6 किमी0
4.	33/11 के0वी0ए0 बिजली, आगरा डिफेन्स कॉरिडोर आगरा	800.00	100.00	
	कुल योग	32300.00	21200.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शर्ते/प्रतिबन्ध

(1) यूपीडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-20/2022/बी-1-671/दस-2022-12(2)/2023 दिनांक 30.09.2022 के प्रस्तर-8 (17) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रस्तावित भूमि क्रय हेतु धनराशि की व्यवस्था मानक मद '60-भूमि क्रय' में आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोग (वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु) के माध्यम से ससमय धनराशि का प्राविधान कराया जाए।

(2) यूपीडा द्वारा संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित बजट की सीमा के अन्तर्गत ही धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

(3) परियोजनाओं के वित्त पोषण की द्विरावृत्ति होने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व यूपीडा का होगा।

(4) यूपीडा द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के लिए निर्गत शासनादेश दिनांक 17.03.2023 तथा प्रस्तावित कार्यों के सम्बन्ध में संगत नियमों/शासनादेशों/दिशा-निर्देशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

कृपया उपरोक्तानुसार स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(4) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

(7) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

(8) निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

(9) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(10) वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमती नगर लखनऊ।

(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।

(12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।

(13) नोडल, बजट एलाटमेंट सिस्टम।

(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।